

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI A. NARAYANASWAMY):

Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (1) Review by the Government of the working of the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, Delhi, for the year 2021-2022.
- (2) Annual Report of the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.(Interruptions)
[Placed in Library, See No. LT 9835/17/23]

माननीय सभापति: आइटम नंबर 10 ए, श्री पंकज चौधरी जी ।

? (व्यवधान)

(श्री पंकज चौधरी): सभापति महोदय, अपनी वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी

की ओर से मैं निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) अधिसूचना सं 24/2023-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क जो 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क को बढ़ाने के आशय से दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (2) अधिसूचना सं. 25/2023-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क जो 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के आशय से दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. 04/2022-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 9841/17/23]

माननीय सभापति : आइटम नंबर 16, श्री रमेश बिधूड़ी जी ।

? (व्यवधान)

14.05½ hrs